इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 जून 2017—आषाढ़ 8, शक 1939

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ-2-6-2013-बावन-1.— भोपाल, दिनांक 29 जून 2017

प्रस्तावना.—कुटीर एवं ग्रामोद्योग ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार का एक सशक्त माध्यम है. इसमें परंपरागत एवं गैर परंपरागत दोनों प्रकार के उद्योग शामिल हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के भार के कारण जोत के आकार निरन्तर घटने से ग्रामीण क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन हो रहा है. उक्त पलायन के कारण अनेक सामाजिक, आर्थिक समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं. गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन को रोकने के लिये आवश्यक है कि लोगों को उनके निवास स्थानों पर या उसके समीप ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हों. ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योग कृषि के पूरक के रूप में अधिकाधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम है. प्रदेश में हाथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम, माटीकला, चर्मशिल्प इत्यादि विभिन्न विधाओं एवं गतिविधियों में संलग्न शिल्पी एवं कारीगर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं. इन कारीगरों की सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा एवं समस्याओं का अध्ययन करके समाधान के लिये समय-समय पर सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से कारीगर आयोग का गठन करने का निर्णय लिया गया है.

संकल्प

1. शासन द्वारा मध्यप्रदेश कारीगर आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है.
2. **कार्यक्षेत्र.**—राज्य स्तरीय कारीगर आयोग संगठित, असंगठित क्षेत्र के कारीगरों के हितार्थ कार्य करेगा.
3. आयोग के क्षेत्राधिकार में निम्नांकित विषय होंगे.—
    1. राज्य के अधीन कारीगरों के विकास के लिये संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना.
    2. कारीगरों की समस्याओं को चिन्हांकित करना व समाधान के सुझाव देना.
    3. कारीगरों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास से संबंधित विषयों का अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण करना तथा इसमें सुधार के सुझाव देना.

4. राज्य सरकार द्वारा कारीगरों के हितों की सुरक्षा के लिये उपयोगी एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सिफारिश करना.

5. कारीगरों से संबंधित किसी विषय पर और विशेषत: उन कठिनाईयों पर, जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, राज्य सरकार को नियतकालिक या विशेष रिपोर्ट देना.

6. कारीगरों को उनके अधिकारों से वंचित करने के बारे में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच पड़ताल करना और ऐसे मामलों को राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना.

7. कारीगरों के कल्याणार्थ और समस्याओं के निवारणार्थ जो भी अभ्यावेदन, आवेदन, सुझाव प्राप्त होंगे उनका समग्र रूप से अध्ययन कर राज्य शासन के विभागों से परामर्श करना और अनुषांगिक विषयों पर सुझाव देना.

8. कारीगरों के कल्याण कार्यक्रमों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करना और समीक्षा कर आवश्यक अनुशंसा राज्य सरकार को प्रस्तुत करना.

4. **आयोग का स्वरूप.**—मध्यप्रदेश कारीगर आयोग तीन सदस्यीय होगा, जिसमें शासन द्वारा नामांकित एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होगे. सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी को आयोग का अध्यक्ष/सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा.

5. **पदाधिकारियों का कार्यकाल.**—शासन द्वारा नामांकित अध्यक्ष एवं दो अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष या शासन के आगामी आदेश तक जो भी पहले हो, रहेगा.

6. **आयोग के अध्यक्ष को देय सुविधायें.**—आयोग के अध्यक्ष को राज्य शासन के अन्य निगम/मंडलों/आयोगों के अध्यक्षों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित पात्रता/सुविधाओं के समान सुविधाऐं प्राप्त होगी.

7. **आयोग के सदस्यों को भत्ते.**—आयोग के सदस्यों को राज्य शासन के प्रथम श्रेणी अधिकारियों को देय दैनिक एवं प्रवास भत्ते की पात्रता होगी.

8. **आयोग की कार्यपद्धति.**—आयोग अपनी कार्यप्रक्रिया विधिक रूप से विकसित एवं निर्धारित कर शासन को प्रस्तुत करेंगे. शासन के समस्त विभाग आयोग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी उपलब्ध करायेंगे एवं आयोग के चाहने पर उनको आवश्यकतानुसार कारीगरों के कल्याण के लिये तैयार किये जाने वाले दिशा-निर्देशों एवं अनुशंसा हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे. आयोग विभिन्न संगठनों, अशासकीय संस्थाओं, उद्यमियों आदि के माध्यम से प्राप्त संबंधित मुद्दों/विषयों का परीक्षण कर राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा.

9. **आयोग के सचिव.**—कारीगर आयोग के सचिव की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा पदेन रूप से विभागीय अधिकारियों में से की जावेगी, जो प्रथम श्रेणी से अनिम्न होगा.

10. **आयोग के अधीन अमला.**—कार्यालयीन व्यवस्था के लिए निम्नानुसार अमला स्वीकृत किया जावेगा. अध्यक्ष के निज सचिव-1 (प्रतिनियुक्ति पर), निज सहायक-1 (प्रतिनियुक्ति पर), सचिव का निज सहायक-1 (प्रतिनियुक्ति पर), सहायक ग्रेड-2 सह कम्प्यूटर आपरेटर-1 (आउट सोर्स से), भृत्य-सह-चौकीदार-1 (आटट सोर्स से).

11. **आयोग का मुख्यालय.**—आयोग का मुख्यालय भोपाल होगा.

12. **आयोग का प्रशासकीय विभाग.**—आयोग का प्रशासकीय विभाग कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वीरा राणा प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.